[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड -3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 13 जून, 2017

सा.का.नि........... (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 462 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 462 की उपधारा (2) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 05 जून, 2015 को प्रकाशित भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.464(अ) तारीख 5 जून, 2015 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिसूचना कहा गया है) का लोकहित में संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. मूल अधिसूचना में सारणी में विद्यमान क्रम संख्या 1 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों को क्रम संख्या 1क के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः क्रमांकित क्रम संख्या 1क और उससे संबंधित प्रविष्टियों से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"1	अध्याय 1 धारा 2 का खंड (40)	परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:- "परंतु कि एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी, निष्क्रिय कंपनी और निजी कंपनी (यदि ऐसी प्राइवेट कंपनी एक स्टार्ट-अप है तो) के संबंध में वित्तीय विवरण में नगदी प्रवाह के विवरण को सम्मिलित नहीं किया जाए; स्पष्टीकरणः इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, 'स्टार्ट-अप' या 'स्टार्ट-अप कंपनी' से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित कोई निजी कंपनी और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

		विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनी अभिप्रेत है।"

3. मूल अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"6	अध्याय 5, धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (ङ)	किसी ऐसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होंगे - (अ) जो अपने सदस्यों से समादत्त शेयरपूंजी, खुली आरक्षितियों और प्रतिभूति प्रिमियम खाते के योग से एक सौ प्रतिशत से अनधिक राशि स्वीकार करती है; या (आ) जो उसके निगमन की तारीख से पांच वर्ष के लिए स्टार्ट-अप है; या (ई) जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है, अर्थात्:- (क) जो किसी अन्य कंपनी की कोई सहयुक्त या समनुषंगी कंपनी नहीं है; (ख) यदि ऐसी किसी कंपनी की बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं या अन्य किसी कारपोरेट निकाय से उधारी इसकी समादत्त शेयरपूंजी के दुगुने या पचास करोड़ रुपए, जो भी न्यूनतम है, से कम है; और (ग) ऐसी कंपनी ने जिसने इस धारा के अधीन जमा स्वीकार करते समय विद्यमान ऐसी उधारियों के प्रति संदाय में कोई चूक नहीं की है; परंतु कि खंड (अ), (आ) या (ई) में विनिर्दिष्ट कंपनी, रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे फाइल करेगी;

4. मूल अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"6क	अध्याय 7, धारा 92 की उपधारा (1) का खंड (छ)	उन प्राइवेट कंपनियों को, जो लघु कंपनियां है, पर लागू होगा अर्थात्:- "(छ) निदेशकों द्वारा आहरित पारिश्रमिक की कुल रकम।"।
6ख	अध्याय 7, धारा 92 की उपधारा (1) का परंतुक	परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:- परंतु कि एक व्यक्ति कंपनी, लघु कंपनी और कोई प्राइवेट कंपनी, (यदि ऐसी प्राइवेट कंपनी, एक स्टार्ट-अप कंपनी है) के संबंध में वार्षिक विवरणी पर कंपनी सचिव द्वारा या जहां कोई कंपनी सचिव नहीं है वहां कंपनी के निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. मूल अधिसूचना में क्रम संख्या 9 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -

1	2	3
"9क	अध्याय 10, धारा 143 की उपधारा (3) का खंड (i)	ऐसी किसी प्राइवेट कंपनी के लिए लागू नहीं होगा - (i) जो एकल व्यक्ति कंपनी या लघु कंपनी है; या (ii) जिसका अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार व्यापारावर्त पचास करोड़ रूपए से कम है या जिसकी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी समय बैंकों या वित्तीय संस्थाओं या अन्य किसी कारपोरेट निकाय से ली गई कुल उधारी पच्चीस करोड़ रुपए से कम है।"।

6. मूल अधिसूचना में, क्रम सं 11 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् -